आदेश क्र०

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई व कार्य में टिप्पणी आदेश

आदेश

15/9/23

आवेदक श्री हेमलाल तुरी पिता–कुहु तुरी, ग्राम–लक्ष्मणटुण्डा, थाना–निमियाँघाट, जिला–गिरिडीह द्वारा समर्पित आवेदन एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डुमरी के न्यायालय वाद संख्या–72/2012–13 के तहत पारित आदेश के आलोक में उभय पक्षो को नोटिस तामिला कर सुनवाई की प्रकिया किया गया। सुनवाई के दौरान उभय पक्षो के ब्यान एवं राजस्व कागजातो के अवलोकनोपरान्त प्रथम पक्ष का कागजात सही पाया गया है। तथा प्रथम पक्ष (आवेदक) द्वारा अपने दादा बुधु तुरी की खरिदगी जमीन मौजा–लक्ष्मणटुण्डा थाना नं0–121 खाता संख्या–02 प्लॉट संख्या–2091/2418 रकबा–0.05 एकड़ भूमि पर पूर्व से दखलकार चले आ रहे है। तथा प्रथम पक्ष (आवेदक) का उक्त भूमि पर मकान भी बना हुआ है। द्वितीय पक्ष के मो0 मनवर मियाँ पिता–सिकंदर मियाँ वो मो0 अनवर मियाँ पिता–सिकंदर मियाँ द्वारा किये जा रहे दावा को गलत पाया गया। साथ ही प्रथम पक्ष के हक व हिस्से की जमीन को उभय पक्षो की उपस्थिति में अंचल अमीन से मापी कर चिन्हित कराया गया।

अतः उक्त के आलोक में अधोहस्ताक्षरी द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा क्रय किये गये भूमि मौजा–लक्ष्मणटुण्डा थाना नं0–121 खाता संख्या–02 प्लॉट संख्या–2091/2418 रकबा–0.05 एकड़ पर द्वितीय पक्ष का दावा करना गलत है। अतः द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की भूमि पर चढने या किसी प्रकार का दावा करने से रोक लगाया जाता है। अभिलेख की कार्रवई बन्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

15.09.23

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

15.9.23

अंचल अधिकारी,
डुमरी।

Digitally signed by Shashi Bhushan Verma
Date: 2023.11.29 20:58:59 +05:30
Location: 192.168.42.226